

अध्याय 8

बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय लोक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित

[धारा 4 (1) (बी) (viii)]

निम्नलिखित प्रारूप में सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बारे में जानकारी प्रदान करें।

	बोर्ड का नाम परिषद समिति आदि	संयोजन	शक्तियां और कार्य	क्या यह बैठकें खुली जनता/मिन्ट इसकी बैठकों के लिए सुलभजनता
1	म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान मिशन	<p>क) पदेन सदस्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सभापति मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश</li> <li>2. उप सभापति निम्नलिखित विभागों के प्रभारी मंत्री               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्कूल शिक्षा</li> <li>2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण</li> </ol> </li> <li>3. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन</li> <li>4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा</li> <li>5. मध्य प्रदेश शासन के निम्नलिखित विभागों के वरिष्ठतम सचिव-               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण</li> <li>2. वित्त</li> <li>3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास</li> </ol> </li> </ol>	<p>साधारण सभा के कार्य</p> <p>मिशन की नियमावली के अधीन मिशन की गतिविधियों के संचालन हेतु नीति निर्धारित करना।</p>	<p>आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।</p>

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p>4. योजना, आर्थिक एवंसांख्यिकी</p> <p>5. महिला एवं बाल विकास</p> <p>6. मिशन समन्वयक एवं सचिव मुख्यमंत्री</p> <p>7. आयुक्त, लोक शिक्षण</p> <p>8. आयुक्त, आदिवासी विकास</p> <p>9. आयुक्त, सूचना एवं प्रकाशन</p> <p>10. संचालक, मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद</p> <p>11. प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम</p> <p>12. अपर मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन</p> <p>13. परियोजना संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन</p> <p>14. सदस्य सचिव-मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन</p> <p><b>(ख) मनोनीत सदस्य</b></p> <p>15. अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले निम्नलिखित श्रेणियों के साधारण सभा के सभापति के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जुड़े व्यक्ति (3) (इनमें से कम से कम ,क महिला होगी)</li> <li>II. साक्षरता से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता (1)</li> <li>III. दूरशिक्षा एवंसूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्ति (1)</li> <li>IV. शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार से जुड़े व्यक्ति (1)</li> <li>V. स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति (2) (इनमें से कम से कम ,क महिला होगी)</li> <li>VI. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग बच्चों (2) की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति</li> <li>VII. महिला शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं (2)</li> </ol> |  |  |
|--|--|--|

		<p>VIII. सामाजिक कार्यकर्ता (1)</p> <p>16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि (3)</p> <p>17. केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत निम्नलिखित श्रेणियों के प्रतिनिधि-</p> <p>1 बुनियादी शिक्षा में विशेष अनुभव और रुचि रखने वाले शिक्षाविद् 3</p> <p>2 स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति जिन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की हो (प्रत्येक क्षेत्र से एक) 3</p> <p>3 बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करने वाली महिलाएं 2</p> <p>18. सांसद 1</p> <p>19. विधायक 2</p> <p>20. जिला पंचायत अध्यक्ष 2</p> <p>21. जनपद अध्यक्ष 4</p> <p>22. सरपंच 8</p> <p>क्र.18 से 22 के सदस्यों का मनोनयन साधारण सभा के सभापति द्वारा किया जावेगा । मिशन की साधारण सभा में राज्य शासन द्वारा मनोनीत 30 अशासकीय सदस्यों एवं केन्द्र शासन द्वारा मनोनीत 8 अशासकीय सदस्यों का समावेश है ।</p>		
2	राज्य कार्यकारणी	<p>पदेन सदस्य-</p> <p>1. अध्यक्ष मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन</p> <p>2. उपाध्यक्ष प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन</p> <p>सदस्य-</p> <p>3. राज्य शासन के निम्नलिखित विभागों के वरिष्ठतम सचिव-</p>	मिशन की नियमावली के अन्तर्गत साधारण सभा द्वारा निर्धारित नीतियों	आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण
2. वित्त
3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास
4. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
5. महिला एवंबाल विकास
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
4. मिशन समन्वयक एवं सचिव, मुख्यमंत्री
5. आयुक्त, लोक शिक्षण
6. आयुक्त, आदिवासी विकास
7. आयुक्त, सूचना प्रकाशन विभाग
8. प्रबन्ध संचालक, म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम
9. संचालक, मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
10. अपर मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन
11. परियोजना संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन
12. सदस्य सचिव- मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन  
मनोनीत सदस्य
13. अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार मनोनीत तीन व्यक्ति कि (क) उनमें से कम से कम ,क व्यक्ति श्रेणी (ख) 14 की उपश्रेणी । से IV में से ,क हो । (ख) उनमें कम से कम ,क महिला हो
14. मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत केन्द्र सरकार के तीन प्रतिनिधि (यदि राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन किया जाता है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा)
15. विधायक

का क्रियान्वयन करना

16. पंचायत प्रतिनिधि 1

क्र.13 व 16 के सदस्यों का मनोनयन साधारण सभा के सभापति के द्वारा किया जाता है ।

3

राज्य  
स्तरीय  
कार्यक्रम  
समिति

**राज्य स्तरीय कार्यक्रम समिति की संरचना**

1	प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा	अध्यक्ष
2	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र	सदस्य
3	आयुक्त, लोक शिक्षण	सदस्य
4	आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग	सदस्य
5	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
6	प्रौढ शिक्षा/ सम्पूर्ण साक्षरता के वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी	सदस्य
7	शिक्षा मिशन की साधारण सभा के दो अशासकीय सदस्य जिनका चयन राज्य कार्यकारिणी द्वारा किया गया हो।	सदस्य
8	राज्य परियोजना संचालक/अपर मिशन संचालक, रा.शि.केन्द्र	सदस्य सचिव

1.कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मिशन की गतिविधियों का योजना निर्माण  
2.प्रारंभिक शिक्षा के लोव्यापीकरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से समन्वय की रणनीति निर्माण  
3.कार्यक्रम के संचालन हेतु औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचना का निर्धारण  
4.कार्यक्रम का अनुवीक्षण एवं कार्यक्रम के संचालन में परिलक्षित गतिरोधों को दूर करने के उपाय सुझाना

आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।

4

राज्य  
स्तरीय

**राज्य स्तरीय निर्माण कार्य समिति की संरचना**

1 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

अध्यक्ष

• सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त

आवश्यक तानुसार बैठके

	<b>निर्माण कार्य समिति</b>	<p>2 राज्य परियोजना संचालक/अपर मिशन संचालक, रा.शि.केन्द्र</p> <p>3 आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि</p> <p>4 आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि</p> <p>5 मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि</p> <p>6 मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा उनके प्रतिनिधि</p> <p>7 कार्यकारी संचालक, फको अथवा उनके प्रतिनिधि</p> <p>8 शिक्षा मिशन की साधारण सभा के दो अशासकीय सदस्य जिनका चयन राज्य कार्यकारिणी द्वारा किया गया हो।</p> <p>9 निर्माण कार्य शाखा का प्रमुख</p>	<p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य सचिव</p>	<p>गतिविधियों का क्रियान्वयन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रॉसीजर का निर्धारण</li> <li>जिला एवं राज्य स्तर पर निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण</li> <li>निर्माण कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार निविदाएं आमंत्रित कर उनको फाईनल करना</li> </ul>	<p>आयोजित की गई।</p>
5	<b>राज्य स्तरीय वित्त समिति</b>	<p style="text-align: center;"><b>राज्य स्तरीय वित्त समिति की संरचना</b></p> <p>1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग</p> <p>2 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग</p> <p>3 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिवासी विकास विभाग</p> <p>4 सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग</p> <p>5 आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश</p> <p>6 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र</p> <p>7 साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति में मनोनीत सदस्यों में से</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना</li> <li>वार्षिक आंतरिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना</li> <li>बाह्य अंकेक्षण एवं महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण उपरांत प्रेषित आपत्तियों का निराकरण सुनिश्चित करना</li> <li>जिला स्तर पर वित्तीय उपलब्धता, वित्तीय</li> </ul>	<p>आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।</p>

		<p>राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित चार सदस्य</p> <p>8 राज्य परियोजना संचालक/अपर मिशन संचालक</p>	सदस्य सचिव	<p>प्रबन्धन एवं रिकार्ड संधारण सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• वित्तीय अनियमितओं पर कार्यवाही की प्रक्रिया का निर्धारण करना</li> <li>• वार्षिक प्रतिवेदन का कार्यकारिणी एवं साधारण सभा को प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना</li> </ul>	
6	राज्य स्तरीय क्रय समिति	<p>राज्य स्तरीय क्रय समिति की संरचना</p> <p>1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग</p> <p>2 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग</p> <p>3 प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिवासी विकास विभाग</p> <p>4 सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग</p> <p>5 आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश</p> <p>6 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र</p> <p>7 साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति में मनोनीत सदस्यों में से राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित चार सदस्य</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित कर प्राप्त निविदाओं पर कार्यवाही कर कार्यादेश की स्वीकृति प्रदाय करना</li> <li>• सामग्री क्रय प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना</li> <li>• सामग्री का प्रतिवेदन भारत शासन को समयावधि एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करना, जिससे भारत शासन से राशि प्राप्त की जा सके</li> <li>• अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सामग्री क्रय</li> </ul>	<p>आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।</p>

		8 राज्य परियोजना संचालक/अपर मिशन संचालक	सदस्य सचिव	प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कराना	
7	राज्य स्तरीय अनुदान समिति	<b>राज्य स्तरीय अनुदान समिति की संरचना</b>		अनुदान हेतु दिशानिर्देश, प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना	आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।
	1	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	अध्यक्ष		
	2	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य		
	3	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिवासी विकास विभाग	सदस्य		
	4	सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य		
	5	आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश	सदस्य		
	6	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र			
	7	साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति में मनोनीत सदस्यों में से राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित चार सदस्य	सदस्य		
	8	राज्य परियोजना संचालक/अपर मिशन संचालक	सदस्य सचिव		
8	राज्य स्तरीय कम्युनिकेशन समिति	<b>राज्य स्तरीय कम्युनिकेशन समिति की संरचना</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>मीडिया एवं कम्युनिकेशन नीतियों का निर्धारण क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।</li> <li>पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का चयन एवं पुस्तकालयों का</li> </ul>	आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।
	1	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	अध्यक्ष		
	2	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य		
	3	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिवासी विकास विभाग	सदस्य		
	4	सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य		
	5	आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश	सदस्य		



		<p>6 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र</p> <p>7 साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति में मनोनीत सदस्यों में से राज्य सदस्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित चार सदस्य</p> <p>8 राज्य परियोजना संचालक/अपर मिशन संचालक <span style="float: right;">सदस्य सचिव</span></p>	नीति निर्धारण।	
9	राज्य सलाहकार समिति	<p style="text-align: center;"><b>राज्य सलाहकार समिति की संरचना</b></p> <p>1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग - अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी - सदस्य</p> <p>3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र - सदस्य</p> <p>4. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल - सदस्य</p> <p>5. राज्य परियोजना संचालक/अपर मिशन संचालक, रा.शि.केन्द्र - सदस्य सचिव</p>	राज्य स्तर पर सलाहकारों की आवश्यकता का आंकलन कर सलाहकारों की नियुक्ति एवं सलाहकारों के कार्यों का अनुवीक्षण	आवश्यकता अनुसार बैठके आयोजित की गई।
10	राज्य नियुक्ति समिति	<p style="text-align: center;"><b>राज्य नियुक्ति समिति की संरचना</b></p> <p>1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र - अध्यक्ष</p> <p>2. राज्य परियोजना संचालक अथवा अपर मिशन संचालक, रा.शि.केन्द्र - सदस्य</p> <p>3. आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि संचालक, लोक शिक्षण के स्तर से कम न हो। - सदस्य</p> <p>4. आयुक्त, आदिवासी विकास अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि उप आयुक्त के स्तर से कम न हो। - सदस्य</p> <p>5. म.प्र.शासन, वित्त विभाग के प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव स्तर से कम न हो - सदस्य</p> <p>6. म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि जो कि उपसचिव स्तर से कम न हो। - सदस्य</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्य एवं निम्न स्तरों पर पदों का वर्गीकरण</li> <li>• राज्यस्तरीय नियुक्ति समिति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति हेतु चयन करना</li> <li>• मिशन में सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना</li> <li>• मिशन में सृजित पदों हेतु सेवा नियम एवं</li> </ul>	आवश्यकता अनुसार बैठके आयोजित की गई।

		7. मिशन की साधारण सभा के चार अशासकीय सदस्य - सदस्य जिनका चयन राज्य कार्यकारिणी द्वारा किया गया हो। 8. प्रशासक, राज्य शिक्षा केन्द्र- - सदस्य सचिव	शर्तों का निर्धारण करना	
11	जिला इकाई	<p style="text-align: center;"><b>जिला इकाई की संरचना</b></p> <p>1 जिला पंचायत के अध्यक्ष अध्यक्ष</p> <p>2 कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक उपाध्यक्ष</p> <p>3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य</p> <p>4 सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग</p> <p>5 उप संचालक (शिक्षा)/ जिला शिक्षा अधिकारी</p> <p>6 प्राचार्य (डाईट)</p> <p>7 जिला महिला बाल विकास अधिकारी</p> <p>8 जिला साक्षरता समिति के दो सदस्य (यदि हों तो)</p> <p>9 दो क्षेत्रीय विधायक नामांकित सदस्य</p> <p>10 जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो जनपद अध्यक्ष</p> <p>11 जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो सरपंच</p> <p>12 जिला पंचायत की शिक्षा सम्बन्धित स्थाई समिति के सभी सदस्य</p> <p>13 निम्न श्रेणियों के 7 प्रतिनिधि जिन्हें अपने क्षेत्र में किये गये कार्य के आधार पर शिक्षा मिशन द्वारा मनोनीत किया जा,गा</p> <p>1.स्त्री शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं ।</p> <p>2.शिक्षाविद् स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार (इनमें से कम से कम ,क महिला और ,क-क सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में से होगा )</p> <p>3.जिले का ,क राष्ट्रपति पुरुस्कृत शिक्षक (यदि उपलब्ध हो)</p> <p>14 जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा विकासखण्ड इकाइयों के अध्यक्षों में से मनोनीत ,क व्यक्ति 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• जिला परियोजना की स्वीकृति एवं अनुमोदन</li> <li>• जिले में योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा</li> <li>• जिले में गठित विभिन्न समितियों के कार्यों की समीक्षा</li> <li>• कार्यक्रम संचालन में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण</li> <li>• अन्य कोई प्रकरण, अध्यक्ष की अनुमति से</li> </ul>	आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।

		मिशन की नियमावली के नियम 8 में संवर्ग 15 और 17 में वर्णित शिक्षा मिशन की साधारण सभा के अधिकतम 2 सदस्य 16 जिला परियोजना समन्वयक बैठकें:- - प्रति तीन माह में बैठक बुलायी जा, - सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह बैठकें आमंत्रित करें ।	सदस्य सचिव		
12	जिला स्तरीय नियुक्ति समिति	<b>जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की संरचना</b> 1. जिला मिशन संचालक (कलेक्टर) 2. जिला परियोजना संचालक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग या उप संचालक, रू कूलशिक्षा 4. जिला पंचायत शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष 5. अध्यक्ष, जिला पंचायत 6. राज्य परियोजना कार्यालय के प्रतिनिधि 7. शिक्षा मिशन द्वारा मनोनीत एक अशासकीय सदस्य 8. जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अशासकीय सदस्यों में से दो अशासकीय सदस्य 9. जिला परियोजना समन्वयक	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सचिव	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिन पदों को जिलास्तरीय नियुक्ति समिति द्वारा भरा जाना है, उन पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का चयन करना</li> <li>विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों का आंकलन कर पदों की पूर्ति सुनिश्चित करना</li> <li>कर्मचारियों हेतु निर्धारित सेवा शर्तों का पालन सुनिश्चित करना</li> </ul>	आवश्यक तानुसार बैठकें आयोजित की गईं।
13	जिला स्तरीय क्रय समिति	<b>जिला स्तरीय क्रय समिति की संरचना</b> 1. जिला पंचायत अध्यक्ष 2. जिला मिशन संचालक 3. जिला परियोजना संचालक	अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिलास्तरीय सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित कर निविदाओं को फाईनल कर क्रयादेश पारित</li> </ul>	आवश्यक तानुसार बैठकें आयोजित की गईं।

		<p>4. जिला अपर परियोजना संचालक सदस्य</p> <p>5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास या उप संचालक शिक्षा जो कि अपर परियोजना संचालक न हो सदस्य</p> <p>6. जिला पंचायत की शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष सदस्य</p> <p>7. संयुक्त संचालक, शिक्षा सदस्य</p> <p>8. म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन द्वारा मनोनीत एक अशासकीय सदस्य सदस्य</p> <p>9. जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अशासकीय सदस्यों में से एक अशासकीय सदस्य सदस्य</p> <p>10. जिला परियोजना समन्वयक सदस्य सचिव</p>	<p>करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सामग्री क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना</li> <li>जिला स्तर पर सामग्री क्रय की जानकारी निर्धारित प्रपत्रा में प्रेषित सुनिश्चित करना</li> </ul> <p>डाईट, बी.आर.सी., सी. आर.सी. एवं शालाओं में सामग्री क्रय की प्रक्रिया एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करना</p>	
14	जिला स्तरीय अनुदान समिति	<p align="center"><b>जिला स्तरीय अनुदान समिति की संरचना</b></p> <p>1. जिला मिशन संचालक अध्यक्ष</p> <p>2. जिला परियोजना संचालक सदस्य</p> <p>3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास या उप संचालक शिक्षा जो कि अपर परियोजना संचालक न हो सदस्य</p> <p>4. प्राचार्य, डाईट सदस्य</p> <p>5. जिला पंचायत की शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष सदस्य</p> <p>6. म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन के दो अशासकीय सदस्य सदस्य</p> <p>7. जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अशासकीय सदस्यों में से दो अशासकीय सदस्य सदस्य</p>	<p>जिला स्तर पर अनुदान सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु कार्यवाही करना</p>	<p>आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।</p>

		8. जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव		
15	जिला स्तरीय निर्माण समिति	<b>जिला स्तरीय निर्माण समिति की संरचना</b>			
		1. जिला मिशन संचालक	अध्यक्ष		
		2. जिला परियोजना संचालक	सदस्य सचिव		
		3. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री	सदस्य		
		4. मिशन अथवा जिला शिक्षा केन्द्र का इंजीनियर	सदस्य		
		5. लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री	सदस्य		
		6. इप्को के जिले में कार्यरत प्रतिनिधि/ किसी निर्माण संस्था से जुड़े हुए इंजीनियर	सदस्य		
		7. म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन के दो अशासकीय सदस्य	सदस्य		
		8. जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>जिलास्तर पर समस्त निर्माण कार्यों की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना</li> <li>निर्माण कार्यों हेतु विस्तृत दिशानिर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित करना</li> <li>जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम निर्माण समितियों का अनुवीक्षण</li> <li>निविदाएं आमंत्रित कर निविदाओं को फाईनल करना</li> </ul>	आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।
16	विकासखण्ड इकाई	<b>विकासखण्ड इकाई की संरचना</b>			
		1. जनपद पंचायत के अध्यक्ष	अध्यक्ष		
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	उपाध्यक्ष		
		3. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी (नॉन ट्रायबल विकासखण्ड में)	सदस्य		
		4. औपचारिकतर शिक्षा का योजना अधिकारी			
		5. डी.पी.ई.पी.में गठित होने वाले विकासखण्ड प्रशिक्षण केन्द्र के समन्वयक			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>विकासखण्ड की परियोजना की स्वीकृति एवं अनुमोदन</li> <li>विकासखण्ड में योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा</li> <li>विकासखण्ड में गठित विभिन्न समितियों के</li> </ul>	आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।

6 आई.सी.डी.,स./ ई.सी.सी.ई.के योजना अधिकारी

7 क्षेत्रीय विधायक

8 जनपद पंचायत शिक्षा सम्बन्धी स्थाई समिति के सभी सदस्य

9 निम्न श्रेणियों के 7 प्रतिनिधि जिन्हें अपने क्षेत्र में किये गये नामांकित सदस्य विशिष्ट कार्य के आधार पर शिक्षा मिशन की जिला इकाई द्वारा मनोनीत किया जा,गा ।

1. स्त्री शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं

2. शिक्षाविद्, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार (इनमें से कम से कम ,क महिला और ,क-क सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में से होगा )

10 जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामांकित विकासखण्ड की ग्राम शिक्षा समितियों के अशासकीय सदस्यों में से दो व्यक्ति

11 जिला इकाई द्वारा नामांकित ,क व्यक्ति जिसका प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में योगदान और अनुभव रहा हो ।

12 जनपद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत चार सरपंच

13 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

सदस्य सचिव

बैठकें:-

- प्रति तीन माह में बैठक बुलायी जा,

कार्यों की समीक्षा

- कार्यक्रम संचालन में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण
- अन्य कोई प्रकरण, अध्यक्ष की अनुमति से

		_सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह बैठकें आमंत्रित करें ।			
17	<b>विकासखण्ड स्तरीय क्रय समिति</b>	<b>विकासखण्ड स्तरीय क्रय समिति की संरचना</b> 1. जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के अध्यक्ष 2. जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के सभी सदस्य 3. विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक 4. स्थानीय प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक 5. जिला परियोजना कार्यालय का प्रतिनिधि 6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सचिव	<ul style="list-style-type: none"> <li>विकासखण्ड स्तरीय सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित कर निविदाओं को फाईनल कर क्रयादेश पारित करना</li> <li>सामग्री क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना</li> <li>विकासखण्ड स्तर पर सामग्री क्रय की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित सुनिश्चित करना</li> <li>बी.आर.सी., सी.आर.सी.ए व शालाओं में सामग्री क्रय की प्रक्रिया एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करना</li> </ul>	आवश्यक तानुसार बैठकें आयोजित की गई।
18	<b>विकासखण्ड स्तरीय निर्माण समिति</b>	<b>विकासखण्ड स्तरीय निर्माण समिति की संरचना</b> 1. जनपद अध्यक्ष 2. जनपद के 2 निर्वाचित सदस्य (जिनमें कम से कम ,क महिला हो) 3. जनपद पंचायत द्वारा नामांकित 2 गैर शासकीय/ सामाजिक कार्यकर्ता 4. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/ जिला शिक्षा केन्द्र का इंजीनियर/ अथवा अन्य विभाग का समकक्ष इंजीनियर	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>विकासखण्ड स्तरीय समस्त निर्माण कार्यों की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना</li> <li>निर्माण कार्यों हेतु विस्तृत दिशानिर्देश एवं प्रक्रिया निर्धारित करना</li> <li>विकासखण्ड एवं ग्राम</li> </ul>	आवश्यक तानुसार बैठकें आयोजित की गई।

		5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/ विकासखण्ड स्रोत समन्वयक 6. विकासखण्ड स्रोत अकादमिक समन्वयक	सदस्य सचिव सदस्य	निर्माण समितियों का अनुवीक्षण • निविदाएं आमंत्रित कर निविदों को फाईल करना	
19	प्रौढ़ शिक्षा	<b>राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी की सूची</b> क्र नाम/पदनाम 1 प्रमुख सचिव म०प्र० शासन, रू कूलशिक्षा विभाग अध्यक्ष 2 प्रमुख सचिव म०प्र० शासन, अनुसूचित जाति विभाग सदस्य 3 प्रमुख सचिव म०प्र० शासन, स्थानीय स्वशासन सदस्य 4 प्रमुख सचिव म०प्र० शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सदस्य 5 महानिदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सदस्य 6 सचिव म०प्र० शासन, वित्त विभाग सदस्य 7 सचिव म०प्र० शासन, जनसंपर्क सदस्य 8 सचिव म०प्र० शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य 9 केन्द्र निदेशक दूरदर्शन केन्द्र भोपाल सदस्य 10 आयुक्त लोक शिक्षण म०प्र० भोपाल सदस्य 11 संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म०प्र० भोपाल सचिव 12 अपर संचालक राज्य शैक्षणिक प्रशि. एवं अनुसंधान परिषद सदस्य		प्रत्येक जिले में साक्षरता कार्यक्रम में साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सूचारु क्रियान्वयन हेतु जिला लोक लोक शिक्षा समिति समितियों का गठन किया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियों का पंजीयन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत कराया गया। इन समितियों की कार्यकारिणी में शासकीय/अशासकीय व्यक्तियों का रखा गया।	आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।



		<p>13 केन्द्र निदेशक आकाशवाणी भोपाल सदस्य</p> <p>14 निदेशक राज्य संसाधन केन्द्र इंदौर सदस्य</p> <p>15 निदेशक राज्य संसाधन केन्द्र भोपाल सदस्य</p> <p>16 अपर संचालक आयुक्त आदिवासी कल्याण विकास विभाग सदस्य</p>		
20	पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति	<p>मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल-462004 //आदेश//</p> <p>भोपाल, दि. 15/7/2021</p> <p>क्रमांक-एफ 36-1/2021/20-3:: मध्यप्रदेश प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 1974 के नियम 3 के उपनियम—(1) से (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा पाठ्यपुस्तक स्थायी समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:—</p> <p>स. नाम व पता क्र.</p> <p>01 डॉ० प्रकाश सी० बरतूनिया 27 अमालतारा फेस-3, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल, म०प्र०</p> <p>02 डॉ० भागीरथ कुमरावत्</p>	<p>अध्यक्ष/सदस्य य अध्यक्ष सदस्य</p>	आवश्यक तानुसार बैठके आयोजित की गई।

97 -98 सरस् वती निवास, परसाई कॉलोनी, सनावद् रोड खरगौन,  
जिला-खरगौन, म0प्र0

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 03 | डॉ0 रघुवीर प्रसाद गोस् वामी<br>सी-176 संगम गार्डन, खजूरीकलां, पिपलानी भोपाल, म0प्र0                            | सदस्य |
| 04 | प्रो0 नरेन् द्र सिंह चौहान<br>सहायक प्राध यापक (हिन् दी) शासकीय महाविद्यालय धुलकोट, जिला-<br>बुरहानपुर, म0प्र0 | सदस्य |
| 05 | श्री जीवन प्रकाश आर्य<br>दीक्षायन, 42, चाणक यपुरी नानाखेड़ा उज जैन, जिला-उज जैन, म0प्र0                        | सदस्य |
| 06 | डॉ0 अनुपम जैन<br>ज्ञानछाया डी-14 सुदामानगर इंदौर, जिला-इंदौर, म0प्र0   | सदस्य |
| 07 | डॉ0 विनय सिंह चौहान<br>कन् या महाविद्यालय के पीछे चाणक यपुरी सीहोर, जिला-सीहोर, म0प्र0                         | सदस्य |
| 08 | श्रीमती सुषमा यदुवंशी<br>शिवसाई मंदिर चौक, डॉ0 शुक ला नर्सिंग होम के पास बालाघाट, जिला-<br>बालाघाट, म0प्र0     | सदस्य |
| 09 | प्रो. आर.पी. मिश्रा<br>बी-16 डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय परिसर सागर, जिला-सागर, म0प्र0                       | सदस्य |
| 10 | डॉ0 मनमोहन प्रकाश श्रीवास् तव<br>69, अहिल् यानगर एक सटेशन, अन् नपूर्णा रोड, इंदौर, जिला-इंदौर म0प्र0           | सदस्य |
| 11 | डॉ0 रविन् द्र कुमार सोहानी<br>सामथ र्य, ½ हाससिंह बोर्ड कॉलोनी मंदसौर, जिला-मंदसौर, म0प्र0                     | सदस्य |

शासकीय पदेन अधिकारियों के नाम:-

स.क्र	पद व विभाग का नाम	सदस्य/सचिव
.		व
01	आयुक्त त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।	सदस्य
02	आयुक्त त, लोक शिक्षण, म0प्र0 भोपाल।	सदस्य
03	सचिव, म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।	सदस्य
04	प्रबंध संचालक, म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।	सदस्य
05	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद-एक प्रतिनिधि म0प्र0 भोपाल।	सदस्य/सचिव